बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्
(जैव विविधता अधिनियम-2002 के अंतर्गत गठित सरकार का एक स्वायत्त सांविधिक निकाय)
Bihar State Biodiversity Board
(An Autonomous and Statutory Body of the Government constituted under Biological Diversity Act. 2002)

कार्यालय आदेश

सं०– 02, दिनांक– 15/01/2025

श्री जय कुमार, जन्म तिथि–15.03.1990 को बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् में संविदा पर नियोजन हेतु स्वीकृत **जी॰आई॰एस॰ और रिमोट सेंसिंग पदाधिकारी (GIS and Remote Sensing Officer)** (प्रसंग– बिहार सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग के पत्रांक– 02/वन्यप्राणी–13/2017–1708 (ई०)/प०व०ज०प०, दिनांक 03.12.2019) पर विहित चयन प्रक्रिया में अनुशंसा के आलोक में संविदा पर अनुबंध सेवा हेतु नियुक्त किया जाता है।

2. इस संविदा नियुक्ति के शर्त एवं उपबंध निम्नवत हैं:–

(i) यह संविदा सेवा केवल **जी॰आई॰एस॰ और रिमोट सेंसिंग पदाधिकारी (GIS and Remote Sensing Officer)** पद के लिए मान्य होगा।

(ii) अनुबंध सेवा 03 वर्ष के लिए एकरारनामा के आधार पर की जायेगी, जो कार्य सम्पादन संतोषप्रद सेवा रहने के आधार पर प्रत्येक बार तीन वर्ष के लिए बढ़ायी जा सकेगी। प्रत्येक वर्ष कार्यों की समीक्षा की जायेगी तथा कार्य सम्पादन संतोषप्रद नहीं पाये जाने पर सेवा पहले भी समाप्त की जा सकेगी।

(iii) अनुबन्ध सेवा पर नियोजित कर्मियों का मासिक मानदेय ₹ 45,000/- (पैंतालिस हजार रूपये) मात्र प्रतिमाह एक मुश्त राशि पारिश्रमिक के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई राशि या भत्ता देय नहीं होगा।

(iv) उक्त प्रथम 3 वर्ष की संविदा सेवा अवधि में मासिक मानदेय में कोई वृद्धि देय नहीं होगी, तथा 3 वर्ष की सेवा के उपर्युक्त कंडिका 2(ii) में उल्लिखित सेवा विस्तार की स्थिति में मासिक पारिश्रमिकी में वृद्धि राज्य सरकार द्वारा गठित समिति की अनुशंसाओं के आधार पर अनुमान्य होगी।

(v) मासिक पारिश्रमिक की राशि में EPF सेवक तथा नियोजक के अंशदान सम्मिलित हैं। निर्धारित मानदेय के अतिरिक्त किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(vi) अनुबंध सेवा अवधि में राजपत्रित अवकाश के अलावे संविदा कर्मियों को 12 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा। वर्ष में प्रत्येक माह की सेवा पर दो दिन के दर से उपार्जित अवकाश अनुमान्य होगा, परन्तु अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के लिए नकद राशि का भुगतान देय नहीं होगा।

(vii) सरकारी कार्य पर यात्रा व्यय बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना द्वारा निर्धारित दर के अनुसार किया जायेगा।

(viii) अनुबंध सेवा हेतु अधिकत्तम आयु सीमा 65 वर्ष की होगी।

(ix) यह नियोजन पूर्णतः अस्थाई होगा तथा भविष्य के लिये नियमित नियुक्ति का आधार नहीं बन सकेगा।

(x) संविदा पर नियोजित कर्मी की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी।

चतुर्थ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर, पटना–800023
☎ 0612-2952412 ✉ bdbihar@bihar.gov.in 🌐 https://bsbb.bihar.gov.in

(xi) यह नियोजन संविदा अवधि (Contract Period) समाप्ति के पूर्व उभय पक्षों द्वारा एक माह की अग्रिम सूचना देकर या नियोजक द्वारा एक माह की संविदा राशि एकमुश्त देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु किसी प्रकार के कदाचार संबंधी आरोप के तथ्य पाये जाने पर संविदा नियोजन को तत्काल प्रभाव से, बिना एक माह की अग्रिम सूचना संबंधी अपेक्षा के, समाप्त किया जा सकेगा।

(xii) संविदा अवधि (Contract Period) के दौरान सम्बन्धित नियोजित कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं रहेंगे और ना ही उनके द्वारा किसी अन्य प्रकार के लाभ प्राप्त करने हेतु अनुबंध किया जायेगा।

3. योगदान के समय सरकारी कार्य हेतु स्वस्थ होने के संबंध में असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्राप्त कर समर्पित करेंगे।

4. संविदा पर नियोजन के पश्चात् दोनों पक्षों को एकरारनामा की उपरोक्त शर्तें मान्य होगी। नियोजित व्यक्ति उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा।

5. उपरोक्त कर्मी अपना योगदान सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना को दिनांक 31.01.2025 से पूर्व समर्पित करेंगे। अंतिम तिथि के उपरान्त योगदान स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि किसी अभ्यर्थी को पूर्व नियोक्ता को पद त्याग करने से पूर्व एक माह की पूर्व सूचना देनी हो तो वे योगदान की तिथि बढ़ाने हेतु अनुरोध कर सकते हैं।

15/1/25

(एस० चन्द्रशेखर)
सचिव,
बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पटना।